विवेकानन्द विद्यापीठ

आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

रामकृष्ण परमहंस नगर
कोटा, रायपुर– 492 010 (छ.ग.)
दूरभाष : (0771) 2575734
e-mail : vivekanandavidyapeeth@yahoo.com
website : www.vivekvidya.ac.in

विद्यालय/छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र सत्र 2018–2019

छात्र का नवीनतम फोटोग्राफ

1. छात्र का नाम – ——————————————————
2. पिता का नाम – ——————————————————
3. माता का नाम – ——————————————————
4. जन्मतिथि – ———— (शब्दों में) ——————————
5. छात्र का आधार नम्बर ————(छायाप्रति संलग्न करें)। छात्र का मोबाईल नं. ————
6. छात्र किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है – ——————————————
7. पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण : उत्तीर्ण कक्षा ———— स्कूल का नाम ————— शैक्षणिक सत्र ——— पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत ––– (सत्यापित अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)
8. विशेष योग्यता (जैसे राष्ट्रीय खिलाड़ी, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज आदि) ————
9. जाति ————— उपजाति ———— वर्ग —————— (अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
10. पिता का व्यवसाय ———————— पिता की वार्षिक आय ————
11. माता का व्यवसाय ———————— माता की वार्षिक आय ————
12. माता-पिता की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय ———————(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. स्थायी पता ——————————————————————

    पालक का फोन नं. ———— मोबाईल नं. ———— व्हाट्स एप नं. ——— ई–मेल नं. ————
14. पत्र व्यवहार का पता ——————————————————————
15. स्थानीय अभिभावक का नाम ——————— छात्र से उनका संबंध —————
    स्थानीय अभिभावक का पता —————————— व्यवसाय ————
    फोन नं. ——— मोबाईल नं. ———— व्हाट्स एप नं. ———— ई–मेल नं. ————

छात्र का हस्ताक्षर

छात्र की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूँगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है तो शाला-प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र का हस्ताक्षर

पालक की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है, यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या छात्र किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है तो शाला-प्रबंधन को मेरे पाल्य का प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का नवीनतम फोटोग्राफ

पालक का हस्ताक्षर

पालक का नाम ——————————

छात्र से सम्बन्ध ——————————

स्थानीय अभिभावक की घोषणा

मैं श्री ———————————————— के पुत्र चि. ———————————————— का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ । आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी ।

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर

छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

1. छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण सत्र के लिए होगा। पात्र छात्रों को छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रतिवर्ष आवेदन करना होगा। छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण विगत वर्षो में छात्र द्वारा किये गये आचार–व्यवहार के आधार पर किया जावेगा।
2. छात्रों को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा।
3. पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपराह्न 2 से 5 बजे तक मिल सकते हैं। मिलते समय पाल्य को व्यक्तिगत रूप से खाने-पीने की वस्तुयें देना मना है।
4. पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से निर्धारित स्थल पर मिल सकेगे।
5. छात्र से मिलने वाले 2 लोगो का नाम पता व मोबाइल न. एवं फोटो फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना चाहे तो छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य की अनुमति आवश्यक होगी। पालक यदि प्राचार्य/शिक्षक/छात्रावास अधीक्षक से मिलना चाहे तो वे केवल कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय मे ही मिल सकेंगे।
6. रायपुर से बाहर रहने वाले पालकों को आवेदन-पत्र में स्थानीय पालक का नाम , पूर्ण पता तथा मोबाइल नम्बर देना आवश्यक है जो आवश्यकता पड़ने पर छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी ले सके। चयनित छात्रों के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय अभिभावक को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है।
7. यदि किसी छात्र/पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नम्बर में परिवर्तन होता है तो उनको प्राचार्य-कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।
8. छात्रों के लिए विद्यापीठ परिसर में मल्टीमिडिया मोबाइल/स्मार्ट फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। वे आवश्यक होने पर केवल छात्रावास में की–पेड (सामान्य) मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। यदि छात्रों के पास मल्टी–मिडिया मोबाइल पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जावेगा तथा छात्र को वापस नही किया जावेगा एवं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। विद्यालय की अवधि में मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
9. विद्यापीठ में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगा। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अथवा अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नही होगी।
10. छात्रों को विद्यापीठ द्वारा निर्धारित दिनचर्या जैसे – प्रातः एवं सन्ध्या प्रार्थना, खेलकूद, विद्यालय तथा स्वाध्याय की कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है।
11. पालकों को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार-व्यवहार आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए। विद्यालय में आयोजित पालक–शिक्षक की बैठक में पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
12. वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में 'पूरक' की पात्रता होने पर या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
13. छात्र द्वारा विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी भी समय एवं किसी भी कक्षा से निकाला जा सकता है।
14. विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिये बहुत सी सामग्रियाँ दी जाती हैं। कुछ छात्र उन सामग्रियों को असमय में ही नष्ट कर देते हैं या गुमा देते हैं। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार छात्र द्वारा विद्यापीठ परिसर में स्थित भवनों को अथवा विद्यापीठ की सामग्रियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार हेतु व्यय की गयी राशि का भुगतान पालकों को करना होगा।
15. बिना अनुमति के छात्र विद्यापीठ परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
16. समय-समय पर विद्यापीठ में परिवर्तित/संशोधित तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

17. विद्यापीठ में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक/स्थानीय अभिभावक की होगी।
18. विद्यापीठ परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकूद, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगी।
19. संस्था में प्रवेश लेने के उपरान्त विद्यार्थी को सत्र के मध्य विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विद्यालय में प्रवेश लिया हुआ छात्र विशेष परिस्थितियों में, यदि आवश्यक हो, तो कारण बताकर, केवल पाँचवी, आठवीं, और दसवीं कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद ही विद्यालय छोड़ सकते हैं। अन्य कक्षाओं में विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।
20. विद्यालय स्वच्छता–अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी तथा यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्यथा स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गयी कोई भी कार्यवाही हमें मान्य होगी।
21. छात्रों को अपने पास 2 पासपोट साईज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति छात्रावास में आवश्यक रूप से रखना होगा, ताकि आवश्यकता होने पर तत्काल प्राप्त किया जा सके।
22. **आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के भीतर जमा किया जाना आवश्यक है। विलंब की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के 10 दिवस के भीतर प्रवेश नवीनीकरण हेतु चयनित छात्रों की अस्थायी सूची जारी की जावेगी। सूची में उल्लेखित छात्रों को निम्नानुसार तिथियों में प्रवेश हेतु अपने पालक एवं स्थानीय अभिभावक के साथ उपस्थित होना आवश्यक है –

कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के छात्र	–	बुधवार, दिनांक 20.06.2018 प्रातः 11.30 बजे से
कक्षा नवमीं एवं दसवीं	–	गुरूवार, दिनांक 21.06.2018 प्रातः 11.30 बजे से
कक्षा छठवीं से आठवीं	–	शुक्रवार, दिनांक 22.06.2018 प्रातः 11.30 बजे से
कक्षा तीसरी से पाँचवी	–	शनिवार, दिनांक 23.06.2018 प्रातः 11.30 बजे से

उक्त तिथियों में छात्र के साथ पालक और स्थानीय अभिभावक की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में छात्र का प्रवेश नवीनीकरण निरस्त माना जावेगा।

प्राचार्य

संयुक्त घोषणा

हमने उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 1 से 22 में दर्शित छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। हम विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियम एवं दिनचर्या का पूरी तरह पालन करेंगे।

छात्र का हस्ताक्षर | स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर | पालक का हस्ताक्षर

छात्र से मिलने वाले अन्य 2 लोगो का विवरण

छात्र से मिलने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटोग्राफ	नाम ——————— छात्र से संबंध ——————— पता ——————— ——————— मोबाइल नं. ———————	छात्र से मिलने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटोग्राफ	नाम ——————— छात्र से संबंध ——————— पता ——————— ——————— मोबाइल नं. ———————

संयुक्त घोषणा

मैं ——————————— छात्र ——————————— का पालक होने के नाते उपरोक्त 2 व्यक्तियों को छात्र से मिलने की अनुमति देता हूँ। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा विद्यापीठ परिसर में नियमों का पूर्ण पालन किया जावेगा। उपरोक्त दर्शित हम दोनों व्यक्ति घोषणा करते हैं कि हमारे संबंध में उपरोक्त दर्शित जानकारी सही है और हमारे द्वारा छात्र से मिलते समय विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

पालक का हस्ताक्षर | छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर | छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

विवेकानन्द विद्यापीठ

आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

रामकृष्ण परमहंस नगर
कोटा, रायपुर 492 010 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : 2575734, फैक्स : 2575734
e-mail : vivekanandavidyapeeth@rediffmail.com
Website : www.vivekvidya.ac.in

प्रवेश सूचना (सत्र 2018–19)

1. विवेकानन्द विद्यापीठ, रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान से राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एक आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित कर रहा है। यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। शिक्षा सत्र 2018–19 में तीसरी, छठवीं, नवमीं एवं ग्यारहवीं की कक्षाओं में सीट की उपलब्धता के आधार पर केवल अनुसूचति जाति (66%) एवं अनुसूचित जनजाति (34%) के **छात्रों** को प्रवेश–परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा, **छात्राओं को** नहीं। कक्षा तीसरी, छठवीं, नवमीं,एवं ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु पिछली कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में (60% या अधिक) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के ही आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेगें। अतः प्रथम श्रेणी से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन न करें। उक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु पिछली कक्षा के अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

2. उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश केवल पिछले सत्र अर्थात् 2017–18 में ही उत्तीर्ण छात्रों को दी जायेगी।

3. कक्षा तीसरी में प्रवेश हेतु छात्र की आयु 30 अप्रेल, 2018 की स्थिति में 9 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् 30 अप्रेल, 2009 से पहले की जन्मतिथि वाले छात्र विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. कक्षा तीसरी, छठवीं एवं नवमीं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य के नाम पर आवेदन-पत्र 31 मई, 2018 तक स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के बाद मिलने वाले अथवा अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र का मूल्य **पाँच** रूपये है जो संस्था में नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन-पत्र संस्था के वेबसाईट www.vivekvidya.ac.in पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड करके भरकर भेजा जा सकता है। डाक से आवेदन-पत्र मंगाने पर स्वंय का पता लिखा हुआ लिफाफा, जिसमें पाँच रूपये का डाक टिकिट चिपका हो, भेजना होगा तथा उस लिफाफे के भीतर आवेदन-पत्र के मूल्य के रूप में अतिरिक्त पाँच रूपये की डाक टिकिट भी रखनी होगी। आवेदन-पत्र की फोटो कापी या टाइप की गयी प्रति भी स्वीकार की जायेगी।

5. आवेदन-पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (केवल कक्षा तीसरी में प्रवेश हेतु), पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा अन्यथा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अस्थायी (प्रोवीजनल) जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर भी दिया जा सकेगा परन्तु प्रवेश की तिथि से छः माह के भीतर जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

6. विद्यापीठ में कक्षा तीसरी छठवीं और नवमीं में प्रवेश हेतु 11 जून, 2018 को प्रातः 11.00 बजे से प्रवेश-परीक्षा ली जायेगी। तीसरी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा में गणित (50 अंक), हिन्दी (30 अंक), एवं अँग्रेजी (20 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा दूसरी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

   छठवीं में प्रवेश के लिए प्रवेश–परीक्षा में गणित (25 अंक), हिन्दी (25 अंक) पर्यावरण (25अंक) एवं अँग्रेजी (25 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे तथा छ.ग. बोर्ड द्वारा कक्षा पाँचवी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

   नवमीं में प्रवेश के लिए प्रवेश–परीक्षा में गणित (17 अंक), विज्ञान(17 अंक), सामाजिक विज्ञान (17 अंक), अँग्रेजी (17 अंक), हिन्दी (16 अंक) एवं संस्कृत (16 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे तथा छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा आठवीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगें।

   सभी कक्षाओं के प्रश्न-पत्र दो घंटे के होंगे। परीक्षाएॅ ठीक समय पर प्रारंभ हो जावेगी। विलम्ब से आने वाले को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा। पालक छात्र को लेकर विद्यालय में कम से कम 1 घंटा पूर्व आ जाए और परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें। परीक्षा में उन्हीं छात्रों को बैठने दिया जाएगा जिनके निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र 31 मई, 2018 तक प्राप्त हो जायेंगे। चयनित छात्रों की सूची 26 जून, 2018 को प्रातः 11.00 बजे संस्था के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी तथा संस्था के वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रवेश-परीक्षा में उपस्थित होने हेतु सूचना अलग से नहीं भेजी जावेगी। विद्यार्थियों को प्रवेश-परीक्षा में आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-व्यय या अन्य भत्ता नहीं दिया जायेगा।

7. कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र 11 जून, 2018 तक स्वीकार किये जायेंगे। कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश कक्षा दसवीं के बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार दिया जायेगा। चूंकि कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम आना शेष है एवं परीक्षा परिणाम आने के बाद यदि कुछ विद्यार्थी विद्यालय छोड़ते है तो कुछ सीट रिक्त होने की संभावना है ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से भी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे परन्तु उनका प्रवेश **रिक्त सीट की उपलब्धता** पर ही निर्भर होगी।

P.T.O.

इस शर्त के साथ कक्षा 11 वीं हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त प्रवेश कक्षा दसवीं में प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रम में दिया जावेगा। दसवीं के परीक्षा–परिणाम की इंटरनेट कापी के आधार पर भी प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा। ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की सूची 26 जून, 2018 को प्रातः 11.00 बजे संस्था के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जावेगी। पालकों को अलग से इसकी सूचना नहीं भेजी जावेगी। चयनित छात्रों को 30 जून, 2018 तक संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि के बाद आने वाले छात्रों के प्रवेश की पात्रता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

8. सभी कक्षाओं के चयनित छात्रों को प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर उपस्थित होना आवश्यक होगा। जिला परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर नियमानुसार संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना आवश्यक होगा।

9. चयनित छात्रों का छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण सत्र के लिए होगा। अगले वर्ष में पात्र छात्रों को छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रतिवर्ष आवेदन करना होगा। छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण विगत वर्षों में छात्र द्वारा किये गये आचार–व्यवहार के आधार पर किया जायेगा।

प्राचार्य